जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mkkk/05 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 25 फरवरी 2021

नगर निगम की सरपरस्ती में जयपुर के उपभोक्ताओं को मीट की दुकानों पर मांस के नाम पर बिमारी और गंदगी के साथ मिलता है धोखा!

भाग-1

जयपुर शहर में 1500 से अधिक मीट की दुकाने,80% चल रही बिना नियम कायदों के|

जयपुर शहर में मीट की 1500 से अधिक दुकाने संचालित है,जिसमे से 80% गैरकानूनी है,यहाँ गैरकानूनी शब्द इसलिए उपयोग करना पड़ रहा है कि क्यूंकि इसमें से कई दुकानों के लाईसेंस नहीं बने हुए है जिनके बने हुए है उनमे से अधिकांश हर साल रिनियु नहीं करवाते और इनमे से अधिकांश मीट की दुकाने लाईसेंस की शर्तो को पूरा नहीं करती|

मीट के लिए केवल चैनपुरा स्थित स्लोटर हाउस में ही जानवर के वध की अनुमति|

जयपुर की करीब 40 प्रतिशत आबादी मांसाहार पर निर्भर करती है,जिसके विक्रय के लिए नगर निगम जयपुर द्वारा मीट विक्रेताओं को मीट लाईसेंस दिए जाते है,लेकिन इन दुकानों पर केवल उन्हें मांस विक्रय की अनुमति ही दी जाती है क्यूंकि शहर की एकीकृत स्लोट्रिंग के लिए चैनपुरा स्थित स्लोटर हाउस में ही जानवरों को वध करने की अनुमति है|वर्तमान में वहां पर भैंस और बकरे जैसे बड़े जानवरों को परंपरागत तरीके से वध करने की अनुमति है,छोटे जानवरों जैसे मुर्गे और मछली के लिए शहर में स्थित मीट विक्रेताओं को ही छुट दी गयी है|

बकरे काटने की अनुमति नहीं फिर भी कटते है हजारों बकरें

चैनपुरा स्लोटर हाउस शहर से 15-20 किलोमीटर दूर स्थित है,जिसके चलते शहर के मीट व्यवसायी वहां जाने से कतराते है,इसका परिणाम यह है कि शहर के अधिकांश मीट व्यवसायी अपनी दुकानों में ही इनका वध कर ग्राहकों को ताजा मीट के नाम पर बेचते है जो कि गैरकानूनी है|

मीट की दुकानों पर बिना स्वास्थ्य परिक्षण के कटते है बीमार और संक्रमित जानवर

स्लोटर हाउस नियमों के अनुसार स्लोटर हाउस में आने वाले प्रत्येक जानवर का स्वास्थ्य परिक्षण करवाया जाना अनिवार्य होता है,जिससे स्वस्थ पशु का मांस ही उपभोक्ताओं को मिल सके|

चूँकि मीट की दुकानों में बिना अनुमति जानवर काटे जाते है जिसके चलते यह मीट व्यवसायी अपने निजी फायदे के लिए बीमार और संक्रमित जानवर को भी काटने से नहीं चुकते जिसका असर उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर पड़ता है|

बिना लाईसेंस के चल रही है सैंकड़ो दुकाने

नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत शहर के मीट व्यवसायियों को मीट विक्रय हेतु नगर निगम से लाईसेंस लेना होता है,परन्तु अज्ञानता और आलस के चलते शहर की सैंकड़ों मीट की दुकाने बिना लाईसेंस के ही चल रही है|और जिन्होंने लाईसेंस ले रखे है वह उसे हर साल रिनियु नहीं करवाते जिससे वह भी गैरकानूनी की श्रेणी में आ जाते है|

बकरे के मीट के नाम पर मिलता है बकरी और भेड़ों का मीट

अपने निजी स्वार्थों और लालच के चलते यह मीट व्यवसायी बकरे के नाम पर भेड़,बकरी का मॉस भी बेचने से नहीं हिचकते है|जिससे मांस उपभोक्ताओं के साथ सरेआम धोखा और लूट होती है|नाम नहीं छापने की शर्त पर एक मांस विक्रेता द्वारा बताया गया कि बकरे का मांस शहर में खुले में 450-600 रूपये बिकता है|जबकि भेड़ का मेरे 300-450 रूपये के बीच बिकता है,जिससे मीट व्यवसायी बकरे के नाम पर भेड़ का मीट बेचने में भी नहीं हिचकिचाते है|

चिकन के नाम पर बीमार मुर्गे-मुर्गियों का मांस

यही नहीं जो मीट व्यवसायी चिकन बेचते है वो ना तो अपनी दुकानों पर साफ़ सफाई का ध्यान रखते है बल्कि गंदे और बीमार मुर्गे-मुर्गियों को काटने से भी नहीं चुकते है|जिससे शहर में कभी भी महामारी फैलने की आशंका बनी रहती है|

थडियों और मकानों में चल रही है अवैध दुकाने

शहर में कई दुकाने ऐसी है जो कि नियम विरुद्ध सड़कों पर स्थित थडियों में संचालित है और कई दुकाने घरों से संचालित है जहाँ पर उनका परिवार निवास करता है,नियमों के अनुसार ऐसी जगहों पर मीट की दुकानों के लायिसेसं जारी नहीं किये जा सकते परन्तु इसके बावजूद कई जगहों पर थडियों और मकानों में मीट की अवैध दुकाने संचालित है उस पर ताज्जुब की बात यह है कि इन लोगो से निगम से सांठ-गाँठ कर लायिसेसं भी ले रखे है|

घर में रखते है बकरों,भेड़ों और मुर्गे-मुर्गियों का स्टोक

बार बार खरीद फरोक्त से बचने के लिए यह मीट व्यवसायी एक बार में ही अपने घरों और आस-पास के बाड़ो में बकरों,भेड़ों और मुर्गे-मुर्गियों का स्टोक कर लेते है परन्तु देखभाल नहीं होने और लापरवाही के चलते कई जानवर बीमार होकर मर जाते है परन्तु यह मीट व्यवसायी इतने लालची है कि इन बीमार और मृत जानवरों को भी काट कर ग्राहकों की सेहत से खुलेआम खिलवाड़ करते है|

नगर निगम, जयपुर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 269 के अन्त...

अनुज्ञा-पत्र

दिनांक 17/0...

लाईसेन्स नं.

व्यवसाय का विवरण — बकरा मांस विक्रय

मांस बकरा / मच्छी / मुर्गी-अण्डा / पाडा का मांस बेचने हेतु शर्ते :

1. यह लाईसेन्स लेने वाले को निम्न शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 269 एवं प्रचलित वधशाला उपविधियों के प्रावधान की पूर्ण पालना करनी होगी अन्यथा लाईसेन्स रद्द कर दिया जावेगा।
2. दुकान की फर्श पुख्ता पत्थर की होनी चाहिए तथा प्रतिवर्ष दीवारों पर सफेदी या रंग कराना होगा।
3. गोश्त पर पशुवध गृह की मोहर होनी चाहिए तथा पशु वध गृह की रसीद दुकान में रखे ताकि निरीक्षण के दौरान नगर निगम जयपुर के अधिकारी देख सके।
4. दुकान के आगे के हिस्से में फिल्मयुक्त शीशे / चिक जालीदार दरवाजा लगाया जावें।
5. दुकान के बाहर दो डस्टबीन (सूखा कचरा संग्रहण एवं गीला कचरा संग्रहण) रखा जावें।
6. पॉलिथीन का उपयोग पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
7. स्वच्छता के लिए गोश्त खुला न रखकर जालीदार शो केस एवं स्वच्छ कपड़े से ढ़का हुआ रहना चाहिए।
8. मांस विक्रेता शारीरिक रूप से स्वच्छ हो, स्वच्छ कपड़े पहनें तथा किसी संक्रामक रोग से पीड़ित न हो।
9. लाईसेन्स प्रतिवर्ष मार्च माह से पूर्व नवीनीकरण करायें।
10. प्रत्येक मंगलवार को समस्त मांस / मुर्गा / मच्छी के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
11. राज्य सरकार द्वारा घोषित एवं निम्न दिवसों पर भी दुकानें बन्द रखी जावे।

    क्रमश : 1. गणतन्त्र दिवस 2. शहीद दिवस 3. महाशिवरात्रि 4. रामनवमी 5. महावीर जयन्ती- 6. बुद्ध पूर्णिमा 7. स्वाधीनता दिवस 8. जन्माष्टमी 9. गणेश चतुर्थी 10. ऋषि पंचमी 11. अनन्त चतुर्दशी 12. गांधी जयन्ती 13. स्वामी दयानन्द निर्वाण दिवस 14. दीपावली 15. कार्तिक एकादशी 16. कार्तिक पूर्णिमा।

909001453.2018617.2017.99004418.2018

अवैध निर्माण कार्य या अतिक्रमण एवं असत्य जानकारी होने पर यह लाईसेन्स स्वतः निरस्त हो जावेगा।

अनुज्ञा पत्र अधिकारी
जयपुर नगर निगम, जयपुर

नगर निगम द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र का प्रारूप,जिसमे अन्य शर्तों के साथ स्पष्ट किया गया है कि अवैध निर्माण कार्य या अतिक्रमण एवं असत्य जानकारी होने पर यह लाईसेंस स्वतः निरस्त माना जायेगा

बिना लाइसेंस चल रही मांस की 8 दुकानें सील, 980 किलो मीट डंप करवाया

अवैध मीट की आठ दुकान सीज की

मीट विक्रेता-दुकान खोलने को पशु अधिकारी को दिए 50 हजार

अफसर ने कहा-अभी एपीओ हूं, एक साल से चार्ज भी नहीं देख रहा

शहर में 1500 मीट की दुकानें, अवैध गतिविधियां निगम ऑफिस से महज आधा किलोमीटर

कईयों को रास आ रही पशु शाखा, एक बार आए और वहीं जम गए

मैंने तो सर्वाधिक कार्रवाई की, मुझ पर लगे आरोप निराधार

आरोपों पर बुरा लगता है, नियमों की पालना व कार्रवाई होगी

अनुज्ञा पत्र की शर्तों के अनुसार प्रत्येक मंगलवार और राज्य सरकार द्वारा घोषित दिनों पर मीट के विक्रय पर पाबंदी

नगर निगम द्वारा जारी अनुज्ञा के अनुसार प्रत्येक मीट व्यवसायी को मंगलवार और राज्य सरकार द्वारा घोषित दिवसों जैसे गाँधी जयंती,महावीर जयंती आदि पर मीट की दुकाने बंद रखना जरुरी है परन्तु शहर के अधिकांश व्यवसायी ना केवल इन दिनों में खुलेआम दुकाने खोलते है बल्कि खुलेआम जानवरों का वध भी करते है|

नगर निगम ग्रेटर एक्शन मोड़ में जबकि हेरिटेज खामोश|

ऐसा नहीं है कि नगर निगम के अधिकारी इन बातों से अनजान है,परन्तु राजनैतिक सरपरस्ती, थोड़े से लालच और धार्मिक/जातीय कारणों के चलते वह इनके विरुद्ध कार्यवाही करने से कतराते है|विगत कुछ दिनों में जब भी हमारे द्वारा ऐसी अवैध दुकानों के मामले निगम के जिम्मेदार अधिकारीयों के संज्ञान में लाये गए तो यह लोग धमकाने और अर्नगल आरोप लगाने पर उतारू हो जाते है|वैसे देखा जाए तो मीट की दुकानों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने में नगर निगम ग्रेटर की मेयर श्रीमति सौम्या गुर्जर ने सार्थक पहल की है और हमारे दावों पर मुहर लगायी है,उनका यह प्रयास काफी सराहनीय है|परन्तु कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मीट की दुकानों पर हुई इन ताबड़तोड़ कार्यवाहियों को भी राजनैतिक रंग देने के प्रयास किये जा रहे है|

जिम्मेदार विभाग

क्रम	विभाग	जिम्मेदारी
1.	पुलिस विभाग	• पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही करना • लाईसेंस की शर्तों के अनुसार क्षेत्र की दुकानों का निरिक्षण करना,अनियमितता पाए जाने पर उचित कार्यवाही करना या निगम अधिकारीयों को सूचित करना • औचक निरिक्षण कर छुट्टी के दिन(मंगलवार और अन्य दिनों) खुली मीट की दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही करना या निगम अधिकारीयों को सूचित करना • घरों में बिना अनुमति(पशु हटवाडे की पर्ची के बिना) जिन्दा मवेशी रखने वाले मीट व्यवसायियों के विरुद्ध कार्यवाही करना या निगम अधिकारीयों को सूचित करना • चैनपुरा स्लोटर हाउस की रसीद के बगैर,दूकान में बकरे/पाडे का मीट पाए जाने पर कार्यवाही करना या निगम अधिकारीयों को सूचित करना
2.	नगर निगम	• संक्रमित/गौ-वंशीय मीट की जांच करना,दूषित मीट के मानव उपयोग को रोकना,अवैध बुचडखानों(मीट की दुकानों) को बंद करवाना| • लाईसेंस की शर्तों के अनुसार क्षेत्र की दुकानों का निरिक्षण करना • मीट की दुकानों पर स्थानीय पुलिस द्वारा बताई गयी अवैध गतिविधियों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करना|